

प्रेस नोट-
थाना सीपरी बाजार, झाँसी

दिनांक- 08.12.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही
- ऑनलाइन सट्टेबाजी में संलिप्त 03 अन्तर्राज्यीय व 02 अन्तर्जनपदीय कुल 05 शांति सट्टेबाज अभियुक्त गिरफ्तार
- कब्जे से 13 स्मार्ट (एण्ड्रॉयड) मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 17 एटीएम कार्ड, 05 बैंक पासबुक, वाई-फाई राउटर व ₹ 44,100/- नगदी बरामद

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.12.2025 को थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 01:50 बजे रात्रि में श्रीमति सोनाली राय पुत्री बृजकिशोर के दो मंजिला मकान गौधाम गोविंदपुरी पहुंच नहर के पास, थाना क्षेत्र सीपरी बाजार झाँसी से अभियुक्तगण 1- बृजेश विश्वकर्मा पुत्र मुन्ना विश्वकर्मा निवासी बजरंग कालोनी कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा उम्र करीब 25 वर्ष 2- बोबी यादव उर्फ विवेक यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी राजघाट कालोनी पीताम्बरा माता मंदिर के पास थाना कोतवाली जनपद दतिया (म0प्र0) उम्र करीब 25 वर्ष 3- रोहित साहू पुत्र राजकुमार साहू निवासी निकट बस स्टैंड उन्नाव रोड थाना कोतवाली जनपद दतिया (म0प्र0) उम्र 29 वर्ष 4- आदित्य ठाकुर पुत्र सुशील ठाकुर निवासी निकट रेलवे स्टेशन रोड फाटक के पास थाना कोतवाली जनपद दतिया (म0प्र0) उम्र करीब 26 वर्ष 5- राहुल पुत्र हरिराम कोरी निवासी मु0 बजरंग कालोनी कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 13 एण्ड्रॉयड (स्मार्ट) मोबाइल फोन, 01 कीपैड मोबाइल फोन, 01 बही खाता रजिस्टर, 17 एटीएम कार्ड, 02 लेपटॉप मय चार्जर, 05 विभिन्न बैंकों की पासबुक, 05 मोबाइल फोन चार्जर, 01 बिजली का बोर्ड, 01 जीओ कम्पनी का वाई-फाई राउटर व 44,100/- रुपये नगद बरामद हुए। अपराधियों द्वारा संगठित होकर अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी करने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0 466/2025 धारा 3/ 4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम व धारा 112 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.12.2025 को थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम, वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु थाना क्षेत्रान्तर्गत गश्त की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती सोनाली राय पुत्री बृजकिशोर के दो मंजिला मकान, गौधाम गोविंदपुरी, पहुंच नहर के पास, थाना सीपरी बाजार, झाँसी में कुछ लोग मोबाइल फोन एवं लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे की खाई-बाड़ी कर हार-जीत की बाजी लगवाते हुए ऑनलाइन सट्टा खेल रहे हैं।

उक्त सूचना पर विश्वास कर तस्दीक कराते हुए नियमानुसार सर्च वारंट प्राप्त किया गया। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा श्रीमती सोनाली राय के दो मंजिला मकान में प्रवेश किया गया, जहाँ दो लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य सामान रखा हुआ मिला। पुलिस को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग घबराकर अपने मोबाइल फोन एवं लैपटॉप का उपयोग बंद कर बैठे मिले। **पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे संगठित होकर मुख्य एडमिन हन्नी राजा बुन्देला निवासी छोटा बाजार, दारुघर की पुलिस, दतिया (थाना कोतवाली दतिया) के साथ ऑनलाइन वेबसाइट on.satbet.io पर सट्टा संचालन करते हैं।**

उन्होंने बताया कि आम लोग उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते हैं और सट्टा खेलते हैं। भुगतान कराने हेतु वे उन्हें क्यूआर कोड एवं UPI नंबर उपलब्ध कराते हैं। भुगतान प्राप्त होने के बाद खिलाड़ियों को आईडी एवं पासवर्ड दिए जाते हैं तथा हार-जीत की स्थिति के अनुसार UPI के माध्यम से राशि का लेनदेन किया जाता है।

पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर निम्न अभियुक्तगण को दिनांक 08.12.2025 को समय 01:50 बजे रात्रि, श्रीमती सोनाली राय के उक्त मकान से गिरफ्तार किया गया:-

1. बृजेश विश्वकर्मा पुत्र मुन्ना विश्वकर्मा निवासी बजरंग कॉलोनी, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा, उम्र लगभग 25 वर्ष
2. बॉबी उर्फ विवेक यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी राजघाट कॉलोनी, पीताम्बरा माता मंदिर के पास, थाना कोतवाली, जनपद दतिया, उम्र लगभग 25 वर्ष
3. रोहित साहू पुत्र राजकुमार साहू निवासी निकट बस स्टैंड, उन्नाव रोड, थाना कोतवाली, जनपद दतिया (म.प्र.), उम्र लगभग 29 वर्ष
4. आदित्य ठाकुर पुत्र सुशील ठाकुर निवासी निकट रेलवे स्टेशन रोड, फाटक के पास, थाना कोतवाली, जनपद दतिया (म.प्र.), उम्र लगभग 26 वर्ष
5. राहुल पुत्र हरिराम कोरी निवासी मु० बजरंग कॉलोनी, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा, उम्र लगभग 30 वर्ष

अभियुक्तगण के कब्जे से निम्न सामान बरामद किया गया:-

1. 13 एंड्रॉयड मोबाइल फोन
2. 01 कीपैड मोबाइल फोन
3. 02 लैपटॉप मय चार्जर
4. 05 विभिन्न बैंकों की पासबुक
5. 17 एटीएम कार्ड
6. 01 बही-खाता रजिस्टर
7. 05 मोबाइल चार्जर
8. 01 बिजली का बोर्ड
9. 01 जियो कंपनी का वाई-फाई राउटर
10. ₹44,100/- नगद

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 466/2025, धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम एवं धारा 112 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण— 1. बृजेश विश्वकर्मा, 2. बॉबी उर्फ विवेक यादव, 3. रोहित साहू, 4. आदित्य ठाकुर, 5. राहुल एवं 6. हन्नी राजा बुन्देला पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर बरामद सामग्री एवं नकदी को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय एवं स्थान:— दिनांक 08.12.2025 को समय रात्रि 01:50 बजे श्रीमति सोनाली राय पुत्री बृजकिशोर के दो मंजिला मकान गौधाम गोविंदपुरी पहुंच नहर के पास थाना क्षेत्र सीपरी बाजार झांसी।

अभियुक्तगण का विवरण

1. बृजेश विश्वकर्मा पुत्र मुन्ना विश्वकर्मा निवासी बजरंग कॉलोनी, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा, उम्र लगभग 25 वर्ष
2. बॉबी उर्फ विवेक यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी राजघाट कॉलोनी, पीताम्बरा माता मंदिर के पास, थाना कोतवाली, जनपद दतिया, उम्र लगभग 25 वर्ष
3. रोहित साहू पुत्र राजकुमार साहू निवासी निकट बस स्टैंड, उन्नाव रोड, थाना कोतवाली, जनपद दतिया (म.प्र.), उम्र लगभग 29 वर्ष
4. आदित्य ठाकुर पुत्र सुशील ठाकुर निवासी निकट रेलवे स्टेशन रोड, फाटक के पास, थाना कोतवाली, जनपद दतिया (म.प्र.), उम्र लगभग 26 वर्ष
5. राहुल पुत्र हरिराम कोरी निवासी मु० बजरंग कॉलोनी, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा, उम्र लगभग 30 वर्ष
6. हन्नी राजा बुन्देला निवासी छोटा बाजार दारु घर की पुलिया दतिया थाना कोतवाली दतिया।

बरामदगी का विवरण

1. 13 एंड्रॉयड मोबाइल फोन
2. 01 कीपैड मोबाइल फोन
3. 02 लैपटॉप मय चार्जर
4. 05 विभिन्न बैंकों की पासबुक
5. 17 एटीएम कार्ड
6. 01 बही-खाता रजिस्टर
7. 05 मोबाइल चार्जर
8. 01 बिजली का बोर्ड
9. 01 जियो कंपनी का वाई-फाई राउटर
10. ₹44,100/- नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री विनोद कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी
2. उ०नि० निखिल सिंह, चौकी प्रभारी मसीहागंज थाना सीपरी बाजार,
3. उ०नि० राजकुमार, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी
4. उ०नि० सचिन मिश्रा, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी
5. का० 98 धारा सिंह, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी
6. का० 868 पंकज सिंह, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी
7. का० 490 नवीन कुमार, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी
8. का० 105 मुकेश सिंह, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी
9. का० 138 शिवम शुक्ला, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी